भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1163

गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक)

सार्वजनिक क्षेत्र मे अल्पसंख्यको का प्रतिनिधित्व

1163 श्रीमती रंजीत रंजन:
श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में कार्यरत अल्पसंख्यकों की कुल संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार आंकडें क्या हैं;

(ख) अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कितने पद रिक्त हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिक्त पदों की भर्ती के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) इन पदों के रिक्त होने के क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): लोक उद्यमों के सर्वेक्षण, जो कि लोक उद्यमों के विभाग वित्त, द्वारा आयोजित किया जाता है। नियमित कर्मचारियों आकस्मिक/ दैनिक दर के कामगारों और संविदा कर्मचारि/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) में कार्यरत कर्मचारियों को वर्षवार संख्या प्रदान करता है। न्यूनतम सार्वजनिक उद्यमों सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, सीपीएसई क्षेत्रों में 2022-23 में 14.90 लाख लोगों को नियोजित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। विस्तृत रिपोर्ट **https://dpe.gov.in/publication/pe-survey/pe-survey-report** पर उपलब्ध है।

विभिन्न मंत्रलायों/विभागों में रिक्त पदों का घटित होना, एवं उन्हें भरना, एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय सरकार मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर यह निर्देश दिया गया है कि उन रिक्त पदों को भरा जाये। रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भरने का, 22वें अक्तूबर, 2022 को रोजगार मेले में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इनका शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय स्तर पर, 45-50 शहरों में, 12 रोजगार मेलों का विभिन्न राज्यों/केंद्र शसित प्रदेशों में, आयोजन किया गया है।

*****